मध्य रेल
CENTRAL RAILWAY

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
संरक्षा विभाग, नागपुर
DRM OFFICE
SAFETY BRANCH, NAGPUR

No. NGP/SFT.101.Z/SI/13-2024-25

दिनांक : 28.10.2024

सर्व संबंधित,
नागपुर मंडल

संरक्षा अनुदेश क्रमांक.- 13/2024-25

विषय: लेवल क्रॉसिंग पर कार्य करते समय सावधानी

******

(1) सतर्कता - गेटमैन को सतर्क, और उचित वर्दी में होना चाहिए और खतरे की आशंका होने पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(2) गेटमैन को गेट की सामान्य स्थिति का सख्ती से पालन करना चाहिए (आमतौर पर या तो सड़क यातायात के लिए खुला होता है या सड़क यातायात के करीब होता है) ।

(3) नॉन-इंटरलॉक्ड गेट के लिए, स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर जारी करने से पहले गेटमैन को गेट बंद होना सुनिश्चित करना चाहिए ।

(4) सामान्य स्थिति में गेटमैन प्राइवेट नंबर जारी होने के बाद तब तक गेट नहीं खोलेगा, जब तक जिस ट्रेन के गुजरने के लिए गेट बंद होने के आश्वासन के रूप में प्राइवेट नंबर जारी किया है, उक्त एलसी गेट को पूरी तरह से पार नहीं कर जाती।

(5) ज़ब भी सड़क यातायात के लिए गेट खोलना हो, ड्यूटी पर मौजूद गेटमैन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने कोई प्राइवेट नंबर जारी नहीं किया है। लेवल क्रॉसिंग गेट खोलने से पहले ड्यूटी पर मौजूद गेटमैन को दिन में लाल बैनर झंडा और रात में लाल बत्ती के साथ एचएस लैंप को लेवल क्रॉसिंग गेट के दोनों ओर 5 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए।

(6) सभी समपार फाटकों के फाटकवालों को चाहिए की, वह दिन में लिपटी हुई लाल और हरी झंडिया क्रमश: दायें और बायें हाथ में लेकर और रात में सफेद हाथ सिगनल वाली ट्रेक की ओर दिखाते हुए सावधानी पूर्वक रेलपथ की ओर मुँह किए हुए फाटक/ गुमटी पर खडा रहें ।

(7) गेटमैन किसी भी असामान्य स्थिति जैसे हॉट एक्सल, लटकता हुआ हिस्सा, ब्रेक बाइंडिंग, वाहन/वैगन में आग, लोड शिफ्ट या किसी अन्य असामान्य स्थिति को देखने के लिए सभी गुजरती ट्रेनों पर नजर रखेगा और एलपी/एएलपी/गार्ड को खतरे का संकेत दिखाकर चेतावनी देने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा।

(8) आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई - लेवल क्रॉसिंग पर किसी रुकावट की स्थिति में गेटमैन को गेट सिग्नल, यदि कोई हो, को "ऑन" स्थिति में बनाए रखना चाहिए और यदि उसे हटाने में असमर्थ है, तो लाइन की सुरक्षा इस प्रकार करनी चाहिए-

(क) दोहरी लाइन पर - दोनों लाइनें अवरूध्द हो तो उसे जिस लाइन पर पहले गाडी आने की संभावना हो उस लाइन पर अवरूध्द स्थान से 5 मिटर की दूरी पर गेटमेन दिन में एक लाल बैनर फ्लैग और रात में लाल बत्ती लगाएगा इसके बाद इसी तरह से दूसरे लाइन पर अवराध के स्थान से 5 मिटर की दूरी पर लगाएगा। इसके बाद वह खतरे को हाथ सिगनल दिखाते हुए उस लाइन पर आगे जाएंगा जिसपर गाडी आने की संभावना पहले हो। ब्रॉड गेज पर लाइन पर 600 मिटर आगे जाएंगा तथा एक पटाका लगाएगा। इसके बाद 1200 मिटर पर जाकर 10-10 मिटर के अंतराल पर 3 पटाका लगाएगा। इस प्रकार जिस लाइन पर पहले गाडी आने की संभावना हो उसका बचाव करने के पश्चात वह रास्ते के मध्यवर्ती पटाखा को उठाते हुए समपार फाटक पर लौट आएगा। इसक बाद वह खतरे का सिगनल दिखाते हुए दूसरी लाइन पर आगे बढेगा एवं पटाखे रखेगा और मध्यवर्ती पटाखा उठाते हुए अवरोध स्थल पर लौट आएगा तथा अवरोध को हटाने का कार्यवाही करेगा।

(ख) इकहरी लाइन पर यदि लाईन अवरूध्द हो तो उसे जिस लाइन पर पहले गाडी आने की संभावना हो उस लाइन पर अवरूध्द स्थान से 5 मिटर की दूरी पर गेटमेन दिन में एक लाल बैनर फ्लैग और रात में लाल बत्ती लगाएगा, इसके बाद विपरीत दिशा में उसी तरीके से बैनर फ्लैग / लाल बत्ती लगाएगा। इसके बाद वह खतरे को हाथ सिगनल दिखाते हुए जिस दिशा में गाडी पहले आने की संभावना हो उस ओर पर आगे जाएंगा और ऊपर उप-पैरा (ए) के अनुसार लाइन की बचाव करेगा। इस प्रकार से दूसरे और की लाइन को भी बचाव करने के बाद गेटमेन मध्यवर्ती पटाखा को उठाते हुए समपार फाटक पर लौट आएगा तथा अवरोध को हटाने का कार्यवाही करेगा।

(ग) गेटमैन को लेवल क्रॉसिंग पर बाधा के बारे में मैसेंजर या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम से मेट, पी.डब्लू.आई और निकटतम स्टेशन मास्टर को सूचित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

(9) गाड़ी का विभाजन - यदि गेटमैन को पता चलता है कि ट्रेन अलग हो गई है तो वह ड्राइवर को रुकने का संकेत नहीं देगा, बल्कि चिल्लाकर, इशारे से या अन्य तरीके से एलपी/एएलपी/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा। उसे दिन के दौरान हरी झंडी और रात के दौरान सफेद बत्ती को यथासंभव ऊपर और नीचे लंबवत (वर्टिकल) लहराते हुए दिखाना चाहिए। ट्रेन के अलग होनें की स्थिति में लाल हाथ सिग्नल प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो सामने के हिस्से से गुजरने के बाद, गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाइन पर 10 मीटर की दूरी पर तीन डेटोनेटर लगाने का भी प्रयास करेगा।

(10) गेटमैन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गेट सिग्नलों के गेट लैंप और लैंप जलते रहें और सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते रहें।

(11) कोई भी गेटमैन तब तक अपना गेट नहीं छोड़ेगा जब तक कि अन्य गेटमैन ने उसका कार्यभार नहीं संभाल लिया हो। यदि किसी आपातकालीन स्थिति में अपना गेट छोड़ना आवश्यक हो, तो ऐसा करने से पहले, उसे सार्वजनिक सड़क के सामने वाले गेट को बंद कर देना चाहिए और उसमें ताला लगा देना चाहिए।

(12) गेटमैन को यह देखना चाहिए कि पहिये के फ्लैंज का चैनल साफ रखा जाए।

(13) समपारों पर, यदि कोई गेट या बैरियर क्षतिग्रस्त/अव्यवस्थित हो जाता है तो गेटमैन को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए अतिरिक्त चेन और स्टॉप बोर्ड का उपयोग करना चाहिए।

(14) गेटमैन को जितनी जल्दी हो सके अपने गेट या उससे संबंधित उपकरण में किसी भी खराबी की सूचना निकटतम स्टेशन मास्टर, गैंग मेट या पी डबल्यू आई को देनी चाहिए।

(15) जिन गेटों के सिग्नल या सिग्नल खराब हो गए हैं, गेटमैन को ट्रेन दिखने पर गेट बंद और लॉक कर देना चाहिए और हाथ से सिग्नल देना चाहिए या खराब सिग्नल के बाद ट्रेन को पायलट करना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे ड्राइवर को अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को खराब सिग्नल या सिग्नल के बारे में रिपोर्ट करने के लिए सूचित करना चाहिए।

(16) गेट सिग्नल खराब होने की स्थिति में गेटमैन को सिग्नल को 'ऑन' स्थिति में बनाए रखना चाहिए।

(17) गेटमैन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गेट उपकरण कार्यशील स्थिति में है और आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए तैयार है।

(18) हैंड ओवर चार्ज और टेक ओवर चार्ज के दौरान गेट लॉज के सभी सुरक्षा उपकरण और अन्य सामान की अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए।

(19) गेटमैन को गेट वर्किंग रूल और स्थानीय भाषा से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए।

(20) प्रत्येक गेटमैन यथासंभव व्यक्तियों या मवेशियों द्वारा अतिक्रमण को रोकेगा।

टिप्पणी: यह निर्देश केवल एक तत्काल संदर्भ के लिए है और किसी भी तरह से किसी भी नियम पुस्तिका/मैनुअल/जेपीओ/जोनल सर्कुलर/मंडल परिपत्र/निर्देशों को अधिक्रमित नहीं करता है। किसी भी संदेह के मामले में, मध्य रेलवे में प्रचलित संबंधित नियम पुस्तिकाओं और साहित्य को संदर्भित किया जाना चाहिए।

(एस के जैसवाल)
मंडल संरक्षा अधिकारी
मध्य रेल, नागपुर

प्रतिलिपी : मंडल रेल प्रबंधक, नागपुर : कृपया सुचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपी : अपर मंडल रेल प्रबंधक(प्रशासन),नागपुर : कृपया सुचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपी : अपर मंडल रेल प्रबंधक(टेक्निकल),नागपुर : कृपया सुचनार्थ प्रेषित।

मध्य रेल
CENTRAL RAILWAY

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
संरक्षा विभाग, नागपुर
DRM OFFICE
SAFETY BRANCH, NAGPUR

No. NGP/SFT.101.Z/SI/13-2024-25

दिनांक: 28.10.2024

All Concerned,
Nagpur Division

SAFETY INSTRUCTION NO. 13/2024-25

Sub: Precaution During Working at Level Crossing

******

(1) Alertness - The Gateman should be alert, vigilant & in proper uniform and be prepared to take immediate action, should danger be apprehended.

(2) Gateman should strictly follow the normal condition of gate (normally either open to road traffic or close to road traffic).

(3) Before issuing the private number to the station master for non-interlocked gate, gate man must ensure the closure of gate.

(4) In normal case the gateman shall not open the gate once Private number has been issued as an assurance of closure of gate for the passage of a train until the said train has passed the LC gate completely.

(5) Whenever the gate is to be opened for passage of road traffic, on duty Gateman should ensure that he has not issue any private number. The Gateman on duty before opening the level crossing gate shall erect 'Red Banner Flag during day and HS lamp with Red light during night at 5 meters on either side of level crossing gate.

(6) Position during passage of trains - The Gatemen at all level crossing gates should stand attentively at the gate lodge side facing the track with furled red and green flags during day in right and left hand respectively and at night hold the hand signal lamp with white light pointing towards track.

(7) The Gatemen shall also watch all passing train to see any unusual conditions like Hot Axle, hanging part, brake binding, vehicle/wagon on fire, load shifted or any other unusual conditions and take prompt action to warn the LP/ALP/TM of the train by showing a danger signal.

(8) Action in emergency - In case of an obstruction at the level crossing the Gateman should maintain the gate signals, if any, in the "ON" position and if unable to remove it, protect the line as under -

(a) On double line, he shall plant a Red banner flag by day and a Red light by night at a distance of 5 metres away on the line on which a train is expected to arrive first, then plant similarly another red banner flag/red light on the other line at the site of obstruction. He shall then pick up danger hand signal and showing it, proceed on that line towards the direction on which a train is expected to arrive first to a point 600 metres on Broad Gauge from the level crossing and place one detonator on the line, after which proceed further to not less than 1200 metres from the level crossing and place 3 detonators on the line about 10 metres apart. Having thus protected the line on which a train is expected to approach first, he should return to the level crossing, picking up the intermediate detonator on his way back. He shall then proceed on the other line showing danger hand signal, place detonators similarly and return to the site of obstruction.

(b) On single line, if the line is obstructed, he shall plant a Red banner flag by day and Red light by night at a distance of 5 metres away towards the direction from which a train is expected to arrive first, and then plant similarly another Red banner flag /Red light towards the opposite direction at the site of obstruction. He shall then pick up red hand signal and protect the line in the direction as in sub-para (a) above, from which a train is expected to approach first, return to the site of obstruction, and proceed with all haste in the other direction to protect the line in the same manner.

(c) Gateman should take immediate action to inform the Mate, P.W.I, and the nearest Station Master about the obstruction at the level crossing through messenger or any other means available.

(9) Parting of a Train - If a Gateman notices that a train has parted, he shall not show a stop hand signal to the Driver, but shall endeavour to attract the attention of the LP/ALP and the TM by shouting, gesticulating or other means. He should also show green hand signal during day and white light during night waving up and down vertically as high and as low as possible. Red hand signal should not be exhibited in case of train parting. If possible, after passing the front portion he shall also try to place three detonators on the line 10 metres apart to attract the attention of the guard.

(10) The Gateman should ensure that the gate lamps and lamps of all gate signals are lighted and kept burning continuously from sunset to sunrise.

(11) No Gateman shall leave his gate unless other Gateman has taken charge of it. If it is necessary to leave his gate in an emergency, before doing so, he should close and lock the gates against the public road.

(12) The Gateman should see that the channel for the flange of the wheel is kept clear.

(13) At level crossings, if any gate or barrier gets damaged / out of order the Gateman should use the spare chain and STOP BOARD for closing against the road traffic.

(14) As soon as possible, the Gateman should report to the nearest Station Master, Gang Mate or Permanent Way Inspector any defect in his gate or the apparatus pertaining to it.

(15) At gates the signal or signals of which have become defective, the Gateman should close and lock the gates on sighting of train and hand signal or pilot the train past the defective signal. In such case he should inform the LP to report about the defective signal or signals to the Station Master at the next station.

(16) In the event of a gate signal becoming defective the Gateman should maintain the signal in the 'ON' position.

(17) The Gateman should ensure that the gate equipment is in working order and ready for use in emergency.

(18) During Hand over charge and Take over charge all safety equipment and other accessories of gate lodge should be checked thoroughly.

(19) The Gateman should be well conversant with the Gate Working Rule and local language.

(20) Every Gateman shall as for as possible prevent trespassing by persons or cattle.

NOTE:- This instruction is only for a ready reference and in no way supersede any rule books/manuals/JPO/Zonal circulars/Divisional Circulars/Instructions issued from time to time. In case of any doubt, concerned rule books and literature prevailing in Central Railway should be referred.

(S K Jaiswal)
Divisional Safety Officer
CR, Nagpur

C/-	DRM:	for kind information please.
C/	ADRM (Admn):	for kind information please.
C/	ADRM (Tech):	for kind information please.